सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A5

03/2016 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 03/16

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै0 बीकानेर मावा भण्डार, प्रो. बिरमाराम पुत्र मोमाराम दुकान नं 01, बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, श्री गंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय दिनांक : 23.08.2016

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06–06–12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28–5–12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18–8–11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2015 को 01:15 पी.एम. पर वास्ते चैकिंग मैं. बीकानेद मावा भण्डार, प्रो. श्री बिरमाराम पुत्र. मोमाराम दुकान नं 1 बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, श्री गंगानगर पहुंचे वहां मावा मिठाई बनाने हेतु एक टिन में करीबन 20 किलोग्राम के आसपास रखा हुआ था । उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जांच संख्या के–598 चार साफ सूखे एवं खाली बर्तन में 500 ग्राम के हिसाब से लिया और खरीद शुदा मावा की कीमत अखरे रूपये 400/– श्री उपेन्द्र शर्मा पुत्र रामस्वरूप एवं राकेश सचदेवा गवाह सामने देकर रसीद प्राप्त की। बीकानेर मावा भण्डार को फार्म नं0 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जॉच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर श्री बिरमाराम पुत्र मोमाराम ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं0 5 की एक प्रति श्री बीकानेर मावा भण्डार को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद मावा को चार साफ सूखी व खाली शिशियों में बराबर बराबर डाल कर प्रत्येक शीशी में 40–40 बूदें फार्मलीन की डाल कर डाट लगाया और लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं0 के–598 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वंय ने व विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक शीशी पर चिपकाया गया। प्रत्येक शीशी को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के–598 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बॉध कर चार–चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक शीशी पर बिरमाराम पुत्र मोमाराम के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड शीशीयों पर नियमानुसार गवाह श्री उपेन्द्र शमा पुत्र रामस्वरूप एवं राकेश सचदेवा के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये और इन चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जॉच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं0 के–598 की एक सील्ड पैकेट को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास जॉच हेतु भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के–598 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2880/एक्ट/2015/1064 दिनांक 29.10.2015 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–598 मावा सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक 4497 दिनांक 04.04.2016 की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 26.04.2016 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त को जरिए नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त बिरमाराम पुत्र मोमाराम स्वयं उपस्थित हुआ। जवाब पेश नहीं किया तथा निवेदन किया कि नरमी का रूख अपनाते हुए उसके प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त बिरमाराम पुत्र मोमाराम से लिया गया मावा का सैम्पल के–598 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/2880/एक्ट/2015/1064 दिनांक 29.10.2015 द्वारा सब स्टैण्डर्ड (अमानक) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/2880/एक्ट/2015/1064 दिनांक 29.10.2015 में " मावा का सैम्पल सं0 के–598 लेने का विवरण दर्ज है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 01 में वर्णितानुसार Milk fat content of the finished product [on dry weight basis] की **30 %** से कम नहीं होनी चाहिए थी, जबकि जांच अनुसार 25.00 % पाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया मावा का सैम्पल सबस्टैण्डर्ड (अमानक) पाया गया है । जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप बिरमाराम पुत्र मोमाराम को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त बिरमाराम पुत्र मोमाराम को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 5000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनियाँ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)